मध्यप्रदेश शासन

गोपनीय

सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 580-854-एक (3)-72

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 1972

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर.
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—साम्प्रदायिक दंगों में कर्तव्यविमुखता के कारण निलंबित शासकीय सेवकों को विभागीय जांच पूर्ण होने के पहले पुन: सेवा में न लेने के संबंध में.

जिन शासकीय सेवकों को साम्प्रदायिक दंगों में कर्तव्यविमुखता जैसी त्रुटियों के कारण निलंबित किया जाता है उनके निलंबन के आदेश, विभागीय जांच पूर्ण होने के पहले, सामान्य प्रशासन विभाग से सलाह लिये बगैर, समाप्त न किये जायें. इस आदेश का पालन दृढ़तापूर्वक होना चाहिये.

हनुमन्त राव,
सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

म. प्र. सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक एफ ई. 1(2)/1974/5/1, दिनांक 4-3-1976

विषय.—विशेष पुलिस स्थापना दल, म. प्र. राज्य सतर्कता आयोग द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत अभियोजन के प्रकरणों में संबंधित शासकीय कर्मचारियों का निलंबन.

इस विभाग के तारीख 16-12-1974 के समसंख्या के ज्ञापन में निहित निर्देशों को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है.

शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में, जिनमें भ्रष्टाचार के लिये मध्यप्रदेश राज्य सतर्कता आयोग द्वारा अभियोजन हेतु न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जायें, संबंधित शासकीय कर्मचारी को बिना किसी अपवाद के तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जावे.